आज का सुविचार
सफलता तब मिलती है, जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं।

साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है..
संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 75 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

BNSS-254, कोर्ट में सबसे पहले किसके गवाह-सबूत पेश किए जाते हैं, क्या कोई नियम है या पहले आओ पहले पाओ, पढ़िए -

Court में Trial के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाह एवं सबूत पेश किए जाते हैं। अभियोजन (फरियादी एवं पीड़ित पक्ष) अपराध का होना एवं आरोपी के द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित करता है जबकि आरोपी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए गवाह-सबूत पेश करता है। आइए पढ़ते हैं कि यह प्रक्रिया अनुशासनबद्ध होती है या फिर दोनों पक्ष अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार गवाह-सबूत पेश कर सकते हैं।

युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 254 की परिभाषा

उपर्युक्त धारा के अंतर्गत न्यायालय ऐसे सभी सबूतों को अभियोजन पक्ष से मंगवायेगा जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन (फरियादी, पीड़ित) प्रस्तुत करना चाहता है एवं जिसके माध्यम से अपराध को प्रमाणित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह आरोपी पक्ष के साक्ष्यों का सबूतों को तब तक नहीं सुनेगा जब तक पीड़ित पक्ष को सुना जा रहा है, अर्थात इस धारा में स्पष्ट किया गया है की पहले साक्ष्य आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लिए जाएंगे।

महत्वपूर्ण वाद- वजयन बनाम राज्य? उक्त मामले में एक महिला अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी। आरोपी व्यक्ति ने उसे रात में जगाया और एक स्थान पर ले जाकर बलात्संग किया। आरोप की एफआईआर दो दिन बाद दर्ज हुई। पु परीक्षा के समय उसके पति की साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य की पुष्टि के लिए न्यायालय में उसके पति की परीक्षा कराने में विफल रहना निश्चित रूप से अभियोजन (पीड़ित) के पक्ष कथन के लिए घातक एवं हर स्थिति में इसका विपरीत आशय लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराने के परिणामस्वरूप आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष-कथन और उसके साक्षियो की सत्यता की परीक्षा करने के अवसर से वंचित रह जाता है। अर्थात ऐसे मामले में दोष सिद्धि कायम नहीं रह सकती है।

नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें, वरिष्ठ अधिकारी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी प्राप्त कर दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री श्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्प्री-2025 योजना को मिली मंजूरी

भोपाल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्प्री 2025 यानि स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लॉयर्स/इम्प्लॉयीज योजना को स्वीकृति दी है। इस निर्णय की घोषणा शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

श्रमिक रैन बसेरों का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रमिक विश्राम गृह होगा : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश के नगर निगमों में संचालित श्रमिक विश्राम गृहों का नाम देश के सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक और श्रमिक नेता स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम पर होगा। यह निर्णय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की 39 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक में मंडल के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का रूपये 1026 करोड़ का बजट पारित किया गया। उक्त बजट में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के लिये %निरामयम% योजना मद में रूपये 300 करोड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार श्रमोदय विद्यालय संचालन मद में 60 करोड रूपये तथा आई.टी.आई. के संचालन के लिये रूपये 5.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूरस्थ जिला सिंगरौली में श्रमोदय आवासीय विद्यालय के निर्माण एवं संचालन का निर्णय भी लिया गया। बैठक में सदस्य श्री लोकेश विजयवर्गीय द्वारा पूर्व में अपात्र घोषित किये गये निर्माण श्रमिकों से अपील आवेदन करवाने की मांग की गई।

किसी व्यक्ति को खजाना मिले और वह इसकी सूचना पुलिस को नहीं देता है तब उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जानिए -

अगर किसी व्यक्ति को किसी खेत में, रास्ते मे कोई खजाना मिलता है, और वह व्यक्ति उस मिले हुए खजाने की सूचना उसे तुरंत पुलिस अधिकारी, SDM या जिला मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तब उस व्यक्ति को जेल की हवा खानी पढ सकती है जानिए

भारतीय खजाना निधि अधिनियम,(Indian Treasure Trove Act) 1878 की धाराएँ-

धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत - 10 या उससे अधिक मूल्य का खजाना पाए जाने पर प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है।

धारा 8 के अंतर्गत- अगर खजाना 100 साल से पुराना है, तो वह सरकार की संपत्ति मानी जाएगी।

दण्ड का प्रावधानः-

धारा 20- खजाने की सूचना न देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की कारावास या जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

उदहारण अनुसार-

राजू को अपने खेत में पुराना घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। राजू को प्रशासन को सूचित करना चाहिए, क्योंकि सिक्के 100 साल से अधिक पुराने हो सकते हैं। अगर वह सूचित नहीं करता है, तो उसे सजा हो सकती है, लेकिन सूचित करने पर सरकार उचित निर्णय लेगी।

निष्कर्षः

भारतीय खजाना निधि अधिनियम, 1878 के अनुसार, खजाने की सूचना देना अनिवार्य है। इससे सरकार को खजाने के बारे में पता चलता है और उचित निर्णय लिया जा सकता है।

●लेखक बीआर अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साइबर व आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं साथ ही विश्वविद्यालय, मीडिया के क्षेत्र में एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी पहचान बनाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संप्रेषण और उनकी प्रभावशीलता के सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियां भी विश्वविद्यालय में आरंभ करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

विश्वविद्यालय के रीवा और खंडवा परिसरों में रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित करने संबंधी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति के बाद एम.ए. (जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव एंड राइटिंग), एम.ए. (मास कम्युनिकेशन), एम.ए.(एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस), एम.एससी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) और एम.एसी.ए. के एक वर्षीय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाएंगे। बैठक में विश्वविद्यालय के पी.एचडी. अधिनियम को यू.जी.सी. पीएचडी अधिनियम 2022 के अनुसार अद्यतन कर इस आधार पर पी. एचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा परिसर के सभागार का नाम लाल बलदेव सिंह सभागार रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। महापरिषद ने वित्त विभाग के 14 अगस्त 2023 के आदेश अनुसार चतुर्थ समयमान उच्चतर वेतन मान को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। विश्वविद्यालय में फेस डिटेक्शन मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पर भी सहमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग विषय का व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रिंटिंग प्रेस व लैब तथा पैकेजिंग लैब की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। बैठक में अन्य कार्यालयीन तथा प्रबंधकीय विषयों पर भी निर्णय लिए गए।

वर्षा ऋतु के चलते सभी एसडीएम को जर्जर भवनों,स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीएम सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय कार्यों को तय समयावधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही एवं ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना होगा।कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अमानक खाद एवं कालाबाजारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि किसान हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कृषि संबंधी जानकारी लेते हुए मूंग दाल की खरीदी, धान एवं सोयाबीन की बोनी की प्रगति की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करें तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक मरम्मत अथवा निष्कासन की कार्यवाही शीघ्र की जाए। साथ ही पुल-पुलियों एवं जल संरचनाओं पर जल निकासी की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे संभावित आपदाओं से पूर्व नियंत्रणात्मक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।कलेक्टर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम एवं जिला पंचायत को वृक्षारोपण के लक्ष्यों की पूर्ति युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जन-सहभागिता से संचालित एक हरित क्रांति है। खाद्य विभाग को फूड सेफ्टी से संबंधित गतिविधियों को तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह जनविश्वास से जुड़ा विषय है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारे के प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर आगामी 7 दिवस में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में समग्र ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री एवं एपीसी बैठक में प्राप्त लक्ष्यों में प्रगति लाने पर बल दिया गया।संबंधित विभागों को लक्ष्य निर्धारण कर पूर्व से ही ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने वृहद स्तर पर अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और खाद्य विभाग को फूड सेफ्टी से संबंधित गतिविधियों को तेज गति से संचालित करने के निर्देश भी दिए।

सायबर क्राईम ब्रांच भोपाल ने डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधडी करने वाले गिरोह के आरोपी को किया गिरफ्तार

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

पुलिस के बडे अधिकारी बनकर धोखाधडी करने वाले आरोपी द्वारा व्हॉसएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पुलिस की वर्दी पहनकर डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया गया।आरोपियों द्वारा जेल भेजे जाने की धमकी देकर तथा फर्जी वारंट बनाकर आनलाईन पेशी के लिए मजबूर किया जाता था।आरोपियों द्वारा रूपयों को वैरिफाई करने के बहाने ट्रांसफर कराते थे। कोलार रोड जिला भोपाल निवासी पीड़ित महिला द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन साईबर क्राईम थाना क्राईम ब्रांच जिला भोपाल मे प्राप्त हुआ। आवेदन मे अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित महिला से फोन पर संपर्क कर महिला के नंबर को इल्लीगल बताया गया तथा पुलिस से संपर्क करना बताकर सभी नंबरों का सीज करने, पुलिस कस्टडी में लेने व अरेस्ट करने की धमकी देकर, डरा धमका कर 5,00,000 रूपये की धोखाधड़ी की गई। शिकायत की जाँच के बाद अपराध क्रमांक - 65/2024 धारा 419, 420, 467, 468 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपियों ने महिला को काल करके खुद को पुलिस अधिकारी होना बताया । तथा महिला के मोबाईल नंबर को इल्लीगल गतिविधियों में संलिप्त है ऐसा बताकर एक फर्जी एफआईआर नंबर भेजा। आरोपियों द्वारा इसके बारे में किसी अन्य को बताने से मना किया गया। महिला को लगभग 12 घंटों तक अकेले ही व्हाटसएप वीडियो काल के माध्यम से डिजीटल अरेस्ट कर रखा गया व धमकी दी गई कि किसी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में बताया तो लोकल थाने के माध्यम से अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में ले लिया जाएगा। जिसके बाद आरोपियों द्वारा महिला के बैंक खाते में रखें रूपयों को इल्लीगल बताकर रूपयों के बेरिफाई करने के लिए भेजने को कहा गया,तो महिला ने बैंक जाकर आरटीजेएस के माध्यम से 5 लाख रूपये अन्य बैंक खाते में भेज दिए गए। पूरी घटना में आरोपियों द्वारा पीड़ित महिला को व्हाट्सएप वीडियो काल पर रखा गया। सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा कार्यवाही कर अपराध करने में प्रयोग किये गये बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर एक बैंक खाता धारक आरोपी को पीथमपुर धार मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा।सायबर काईम संबंधित घटना घटित होने की सूचना भोपाल सायबर क्राइम के हेल्पलाइन नम्बर 9479990636 अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर 1930 पर दे।

वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो 13 जुलाई से वर्षावास प्रारंभ करेंगे

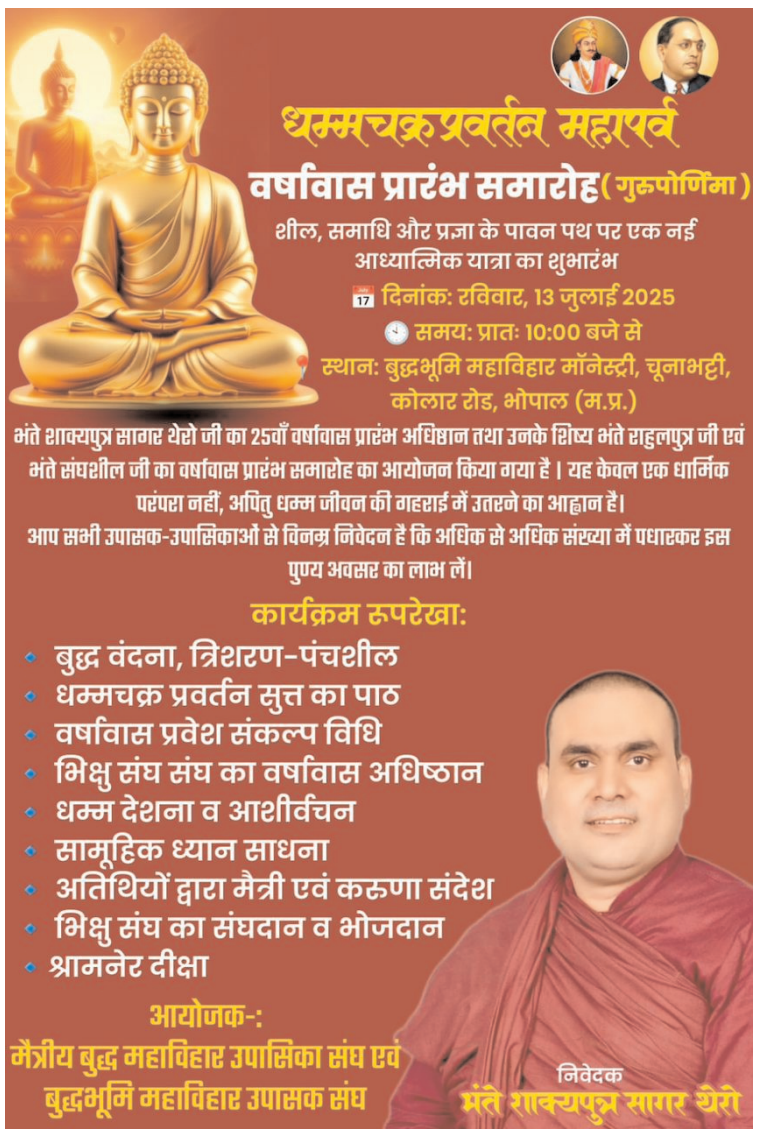

बुद्धभूमि महाविहार मॉनेस्ट्री, चुनाभट्टी, कोलार रोड भोपाल मध्यप्रदेश, मे दिनांक 13 जुलाई दिन- रविवार, समय सुबह 10ः00 बजे से, मध्य प्रदेश के बौद्ध समुदाय की पावन हृदयस्थली बुद्धभूमि महाविहार मॉनेस्ट्री, चुनाभट्टी, कोलार रोड भोपाल में मैत्रीय बुद्ध महाविहार उपासिका संघ एवं बुद्धभूमि महाविहार उपासक संघ का संयुक्त आयोजन आषाढ़ी पूर्णिमा वर्षावास प्रारंभ समारोह का आयोजन किया गया है. वरिष्ठ बौद्ध धम्मगुरु भन्ते शाक्यपुत्र सागर थेरो जी का 25वॉ वर्षावास का अधिष्ठान ग्रहण करेंगे एवं इस अवसर पर उनके शिष्य भन्ते राहुलपुत्र एवं सहयोगी भंते संघशील का वर्षावास प्रारंभ हो रहा हैं इस अवसर पर भिक्षु संघ वर्षावास अधिष्ठान ग्रहण कर वर्षावास प्रारंभ करेगें। बौद्ध धम्म में वर्षावास (Vassa) का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रमुख बौद्ध परंपरा है, जिसे बौद्ध भिक्षुओं का वर्षाकालीन अवधि भी कहा जाता है। वर्षावास बौद्ध धम्म की एक अनूठी परंपरा है, जो आध्यात्मिक विकास, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। यह भिक्षुओं के लिए आत्मानुशासन और धम्म के प्रचार का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है।

कार्यक्रम रूपरेखा-

- बुद्ध वंदना, त्रिशरण-पंचशील
- धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त का पाठ
- वर्षावास प्रवेश संकल्प विधि
- भिक्षु संघ संघ का वर्षावास अधिष्ठान
- धम्म देशना व आशीर्वचन
- सामूहिक ध्यान साधना
- अतिथियों द्वारा मैत्री एवं करुणा संदेश
- भिक्षु संघ का संघदान व भोजदान और श्रामनेर दीक्षा का आयोजन किया गया है

आयोजक-

- मैत्रीय बुद्ध महाविहार उपासिका संघ एवं बुद्धभूमि महाविहार उपासक संघ

सादर-

- भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो
- प्रमुख भिक्षु
- बुद्धभुमि महाविहार मॉनेस्ट्री

चित्रकोट जलप्रपात : बस्तर की गोद में गूंजती प्रकृति की गरज

(दीप्ती बाजपेयी)

जगदलपुर-छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट जलप्रपात न केवल राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है, बल्कि इसे भारत का 'नियाग्रा फॉल्स' भी कहा जाता है। इन्द्रावती नदी की गोद में बसी यह अद्भुत जलधारा न केवल बस्तर की पहचान है, बल्कि पूरे देश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी है। जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर और राज्य की राजधानी रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात की ऊँचाई करीब 90 फीट है। इसकी खास बात यह है कि वर्षा ऋतु में इसकी धाराएं रक्तवर्णी प्रतीत होती हैं, जबकि गर्मियों की चाँदनी रातों में यह झरना दूध-सा सफेद नजर आता है। प्राकृतिक विविधता और रंग-बिरंगे

रूपों से परिपूर्ण यह झरना हर मौसम में कुछ नया अनुभव कराता है। बरसात के दिनों में जब आसमान काले बादलों से घिरा होता है, तब यह झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। ऊपर से गिरती विशाल जलराशि की गर्जना मन में रोमांच और सिहरन भर देती है। जुलाई से अक्टूबर का समय चित्रकोट के सौंदर्य को निहारने का सबसे उपयुक्त माना जाता है। खूबसूरत वादियों के बीच स्थित यह जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। एक विशेष बात यह भी है कि रात के समय इस क्षेत्र को रोशनी से सजाया जाता है, जिससे झरने की गिरती धाराएं और अधिक मनोहारी लगती हैं। प्राकृतिक रोशनी और कृत्रिम प्रकाश के इस संगम को देखने पर्यटक दूर-दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। चित्रकोट जलप्रपात की जलधाराएं मौसम और जलप्रवाह के अनुसार बदलती रहती हैं — कभी तीन धाराओं में बँट जाती हैं, तो कभी एक साथ सात धाराओं में गिरती हैं। घोड़े की नाल के आकार में फैले इस जलप्रपात का दृश्य इतना भव्य होता है कि कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहता। हालांकि, बरसात के मौसम में यहाँ आने वाले पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। फिसलन भरी चट्टानों, तेज़ जलप्रवाह और गीले रास्तों के चलते जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन द्वारा लगाए गए सुरक्षा संकेतों और सीमाओं का पालन करें, गार्ड रेलिंग से आगे न जाएं और बच्चों या बुजुर्गों के साथ विशेष सतर्कता बरतें। बारिश में इस नियाग्रा जैसे दृश्य का आनंद लेना बेहद रोमांचकारी होता है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। बस्तर की यह अनुपम धरोहर केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है। यदि आपने अब तक चित्रकोट की गूंजती जलधाराओं को नहीं देखा, तो जल्द ही आईये और इस बारिश में इस जल प्रपात का आनन्द लीजिये क और तैयार हो जाइए प्रकृति की सबसे शानदार धुन सुनने के लिए... मगर सतर्कता के साथ।

छत्तीसगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु सभी बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाना आवश्यक जन अधिकार मोर्चा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आमजन में गहरी चिंता व्याप्त है। प्रदेश में प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में असमय मृत्यु हो रही है, जिससे न केवल परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विगत कुछ समय से यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इन दुर्घटनाओं में अधिकांशतः निजी बसें और अन्य भारी वाहन शामिल होते हैं। तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही और निर्धारित मार्ग व समय-सारणी का पालन न करना प्रमुख कारण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन्हीं कारणों की रोकथाम के उद्देश्य से जगदलपुर समेत बस्तर संभाग के जागरूक नागरिकों ने जन अधिकार मोर्चा के माध्यम से बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी बसों में गति नियंत्रक उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु तत्काल निर्देश जारी किए जाएं। इस पहल से न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि बस यात्रियों और आम नागरिकों के जीवन की रक्षा भी की जा सकेगी। लोगों का कहना है कि बार-बार समझाइश और दिशा-निर्देशों के बावजूद निजी बस संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में तकनीकी नियंत्रण ही एकमात्र प्रभावी उपाय रह गया है। नागरिकों ने विश्वास जताया है कि प्रदेश सरकार इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी। यह ज्ञापन प्रदेश उपाध्यक्ष सतेंद्र गौतम के नेतृत्व में दिया गया इस अवसर पर जन अधिकार मोर्चा के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। एस एल श्रीवास्तव,श्यामलाल सोनी,रवि तिवारी,राधामनी बघेल,अर्चना आदि।

जिले के सभी क्लिनिक्स का होगा सघन निरीक्षण नियम विरूद्ध संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यवाही

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

जिले में चल रहे क्लिनिक्स का अगले 15 दिनों तक सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय द्वारा सभी एसडीएम को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर द्वारा अपने क्षेत्रों में संचालित क्लिनिक्स का मप्र उपचार्यगृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच की जाएगी। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री,चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जाएगी। अपंजीकृत क्लीनिक अथवा अनाधिकृत प्रैक्टिस करते पाए जाने पर इसका संचालन बंद करवाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर ही चिकित्सा व्यवसाय किया जाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में अलग अलग स्थानों पर समय समय पर जांच की जा रही है। नियम विरूद्ध संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यवाही भी की जा रही है। सघन निरीक्षण के दौरान चिकित्सा व्यवसायी द्वारा क्लीनिक का वैध पंजीयन एवं लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर नर्सिंग होम एंड क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आर्मी भारत एकता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

भोपाल। आज दिनांक 06 जुलाई 2025 दिन रविवार को भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया के निर्देशानुसार राम अयोध्या गार्डन में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राकेश अम्बेडकर एवं जिले के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि - जीतेन्द्र मूलनिवासी भीम आर्मी प्रदेश सचिव, प्रभारी जिला रायसेन, सीहोर एवं भोपाल संभाग अध्यक्ष रोहित जाटव उपस्थित रहे विशेष अतिथि के रूप में भीम आर्मी भोपाल संभागीय उपाध्यक्ष दीपक बघेल , संभागीय महासचिव अभिषेक बौद्ध , आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा भोपाल संभाग अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गजराज सूर्यवंशी, आजाद समाज पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष अंकित डागोर , धर्मेंद्र अहिरवार पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गैरतगंज,मोहन अहिरवार उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष के कार्य की समीक्षा कर भीम आर्मी को रायसेन जिले में मजबूत करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए बैठक में बौद्ध गया पटना विहार में 21 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा की गई जिसने रायसेन जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे भारत सूर्यवंशी पूर्व रायसेन तहसील अध्यक्ष ,रोहित कलोशिया पूर्व जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी , एवं तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं मौजूद रहे ।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का कायोजन किया गया।

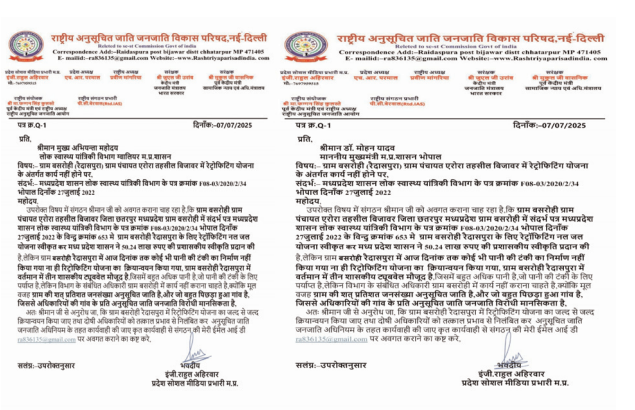

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम। शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का कायोजन किया गया। भोपाल से मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी विद्यार्थियों को दिखाया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डा. कल्पना भारद्वाज द्वारा दीप

प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन में स्रक्ष द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत छात्रों द्वारा पुष्प गुच्छ से सम्मान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य द्वारा स्वागत भाषण एव महाविद्यालय के विजन के बारे में बताया गया। विभागाध्यक्ष श्री शिवाकात मौर्य द्वारा गुरू पूर्णिमा के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक पृष्टभूमि पर वक्तव्य दिया गया। भारतीय ज्ञान परस्परा प्रकोष्ठ प्रभारी डा. अभिषेक सिंह द्वारा भारतीय ज्ञान परम्परा में गुरु-शिष्य संबंधों के महत्व पर पर वक्तत्य दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ एवं आई. टी. प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक श्री राजदीप सिंह भदौरिया एवं धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्राध्यापक डा. महेन्द्र कुमार पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/ कर्मचारी डॉ. हरिप्रकाश मिश्रा, डॉ. ओम शर्मा इत्यादि अनेक विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे।

ग्राम बसरोही में रेट्रोफिटिंग नल जल योजना की स्वीकृति के बावजूद नहीं हुआ कार्य

मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी म.प्र. इंजी. राहुल अहिरवार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बसरोही शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति ग्राम है। ग्राम में जल जीवन मिशन की कल्याणकारी योजना रेट्रोफिटिंग स्वीकृत हुई और शासन ने बजट भी पास किया। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पत्र क्रमांक स्व08-03/2020/2/34, दिनाँक 27 जुलाई 2022 के माध्यम से ग्राम बसरोही रैदासपुरा के लिए रेट्रोफिटिंग नल जल योजना स्वीकृत की गई थी। सलंग्न फाइल के बिंदु क्रमांक 653 पर ग्राम बसरोही का नाम अंकित है, तथा इस योजना के लिए 50.24 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन दिनाँक 07/07/2025 तक इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है और न ही पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ग्राम बसरोही रैदासपुरा में वर्तमान में तीन शासकीय ट्यूबवेल मौजूद हैं जिनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध है, बावजूद इसके विभाग के संबंधित अधिकारी इस योजना

को लागू नहीं करना चाहते हैं। इसकी मूल वजह ग्राम की शत-प्रतिशत जनसंख्या का अनुसूचित जाति से होना और गांव का अत्यधिक पिछड़ा होना प्रतीत होता है, जिससे अधिकारियों की गांव के प्रति अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता झलकती है। संगठन ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता ग्वालियर,को पत्र लेख किया और अनुरोध किया कि ग्राम बसरोही रैदासपुरा में रेट्रोफिटिंग योजना का जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की जाए तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।

गुरु पूर्णिमा पर छात्रावास में किया पौधारोपण।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास, उदयपुरा में श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संगम देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर छात्रावास अधीक्षक श्री बैजनाथ इमने के मार्गदर्शन में छात्रावास परिसर में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण जागरूकता के संदेश के साथ सभी छात्रों ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण में भाग लिया। अधीक्षक श्री इमने ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को गुरु के प्रति सम्मान और प्रकृति के संरक्षण की सीख दी। इस अवसर पर छात्रावास के सभी छात्र मौजूद रहे और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया।

गुरु पूर्णिमा पर टिमरावन आश्रम में भव्य आयोजन, संत परंपरा और श्रद्धा का संगम।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

देवरी, टिमरावन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य मंडला वाले गुरु जी के समाधि आश्रम, टिमरावन में श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण भव्य आयोजन संपन्न किया जा रहा है। इस पावन पर्व पर गुरु जी के चरणों का पूजन, ध्वजारोहण, कन्या भोजन, प्रसादी वितरण तथा भजन-कीर्तन का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। समस्त गुरु प्रेमियों द्वारा आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं अनुयायी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में संत परंपरा, गुरु भक्ति और सामाजिक समरसता का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत टिमरावन के सरपंच पप्पू अहिरवार, कमलेश कुमार बघेल, जो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष (रायसेन) भी हैं, के साथ शिक्षक हाकम सिंह (सचिव, अ.भा.र.ध.स., जिला रायसेन), अशोक कुमार (कोषाध्यक्ष, रम्पुरा, जिला रायसेन) एवं अन्य गुरु भक्तगण उपस्थित रहेंगे। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का पर्व है, जो आत्मिक उन्नति और ज्ञान के मार्गदर्शन का प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित गुरु भक्तों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।

स्नाइपर कमांडर ढेर: बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 8 लाख का इनामी माओवादी मारा गया

सोढ़ी कन्ना,
पदनाम- CYPM/DVCM
PLGA BN No.-01
ईनाम – रूपये 08.00 लाख

बीजापुर। दक्षिण बस्तर के घने जंगलों में जारी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों और संयुक्त सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में [illegible] बटालियन नंबर 01 की कंपनी नंबर 02 का डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना मारा गया। उस पर छत्तीसगढ़ शासन ने 8 लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव ने बताया कि विश्वसनीय आसूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर-दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा 202 व 210 और सीआरपीएफ यंग प्लाटून की संयुक्त टीम ने 04 जुलाई से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान कई बार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच टकराव हुआ। लगातार बारिश और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच हुई यह मुठभेड़ अंततः सुरक्षा बलों के पक्ष में रही। तलाशी अभियान के दौरान एक वर्दीधारी माओवादी का शव, एक .303 रायफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए।

पहचान हुई – PLGA का स्नाइपर कमांडर

मृत माओवादी की पहचान सोढ़ी कन्ना के रूप में की गई है, जो [illegible] की बटालियन नंबर 01 में डिप्टी कमांडर और एक प्रशिक्षित स्नाइपर था। वह सीसीएम माड़वी हिडमा का विश्वस्त सहयोगी बताया गया है, तथा टेकलगुड़ियम क्षेत्र की माओवादी गतिविधियों और धरमारम कैंप पर हमले सहित कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। उसकी मौत को माओवादी संगठन के लिए रणनीतिक झटका माना जा रहा है।

मुठभेड़ स्थल से बरामद सामग्री

1. .303 रायफल – 01 नग तथा 05 जीवित राउंड
2. एके-47 मैग्जीन – 01 नग, 59 जीवित राउंड
3. माओवादी वर्दी – 01 जोड़ी
4. डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज
5. नक्सली पिट्ठू, साहित्य, रेडियो व दैनिक उपयोग की वस्तुएं

IG बस्तर का बयान – 18 महीनों में 415 माओवादी ढेर

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी. ने कहा— वर्ष 2024 की उपलब्धियों को वर्ष 2025 में और तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक 415 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जो सुरक्षा बलों की रणनीतिक क्षमता का परिणाम है।

राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर एबीवीपी का सेवा संकल्प – पौधारोपण कर मनाया 77वां स्थापना दिवस।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन/उदयपुरा। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 77वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर उदयपुरा इकाई द्वारा शासकीय महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता के संदेश को युवाओं तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रमाकांत चौहान, विकास धाकड़, हेमंत राजपूत, अंकित रघुवंशी, शिवशरण राजपूत, रूपा श्रीवास, कमलेश नोरिया एवं नेपाल नोरिया सहित परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

समाजवादी अधिवक्ता सभा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष एड. अनिकेत दीपांकर की अखिलेश यादव से मुलाकात, संगठन विस्तार को लेकर हुई चर्चा

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

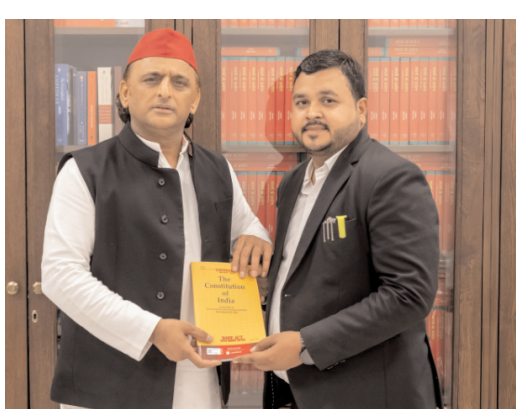

भोपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद श्री अखिलेश यादव जी से समाजवादी अधिवक्ता सभा, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनिकेत दीपांकर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने एवं अधिवक्ता सभा के संगठनात्मक विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। एड. दीपांकर ने बताया कि यह मुलाकात बेहद सकारात्मक रही और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मध्यप्रदेश में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही अधिवक्ता सभा की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान अधिवक्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने, युवाओं को मंच देने और न्यायिक मुद्दों पर समाजवादी दृष्टिकोण से सक्रिय भूमिका निभाने पर भी जोर दिया गया। एड. अनिकेत दीपांकर ने आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी अधिवक्ता सभा को संगठनात्मक रूप से और अधिक सक्रिय व सशक्त बनाया जाएगा, जिससे पार्टी की नीतियां और सिद्धांत आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

पत्रकार अरुण फुलेरिया ने अपना जन्मदिन अस्पताल में गरीब महिलाओं को साड़िया एवं मरीजों को फल बांटकर मनाया।

मूलचन्द मेंधोनिया पत्रकार भोपाल

तराना। दैनिक कलम मेरी पहचान एवं चस्ल्कहश्वङ्कस के प्रधान संपादक श्री अरुण फुलेरिया ने अपना जन्मदिन एक सेवा भाव से मनाया। उन्होंने सोमवार 7 जुलाई को अपना जन्मदिन उज्जैन जिले के तराना तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीब महिलाओं को साड़िया वितरण एवं छोटे बच्चों को कपड़े वितरण करके मनाया। एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट भी बांटे गए। साथ ही अस्पताल परिसर के बाहर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण भी किया। पत्रकार श्री अरुण फुलेरिया ने बताया कि मेरा इस प्रकार जन्मदिन मनाने का उद्देश्य सिर्फ मानव सेवा है। साथ ही मरीजों की स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाओं के साथ फल वितरण कर उनका हौसला बढ़ाना था। पत्रकार साथी के जन्म दिन पर कबीर मिशन समाचार पत्र, प्रखर न्यूज एजेंसी एवं राष्ट्रीय मूलनायक समाचार परिवार की ओर से जन्म दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर अस्पताल पीएमओ डॉ. प्रमोद अंगल, अस्पताल के समस्त डॉक्टर व नर्स स्टॉफगण सहित दैनिक कलम मेरी पहचान के राष्ट्रीय सलाहकार श्री कैलाश चंद्र फुलेरिया, प्रदेश सलाकार श्री पत्रकार सुनील यादव, पत्रकार अरशद जागीरदार, पत्रकार श्रवण व्यास, पोषक जानकार श्री गोविंद खिड़कियां, श्री शिवलाल कुसुमरिया, बनेसिंह चौहान, सजन, फुलेरिया आदि मित्रगण उपस्थित रहे।

आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को जून माह के वेतन विभाग में लंबित समस्याओं शिकायतों का निराकरण करने तथा छात्रावास आश्रमों की जमीनों का सीमांकन कर करवाने के लिए कलेक्टर जनसुनवाई में अलग-अलग दो पत्र दिए - डॉ अग्र

ग्वालियर 8 जून 2025। आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधीक्षक संघ (कसस) के संस्थापक प्रांत अध्यक्ष डॉ जवर सिंह अग्र ने आज 8 जून 2025 को कलेक्टर ग्वालियर की जनसुनवाई में दो पत्र कार्यवाही के लिए दिए, एक पत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 2025 के वेतन के भुगतान की मांग की गई है पत्र में अभी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को जुलाई माह में बच्चों के प्रवेश किताबें आदि खरीदने के लिए प्रवेश के लिए पैसे की अत्यधिक जरूरत होती है साथ ही कर्मचारी अपने लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं आज 8 तारीख हो गई जबकि कर्मचारियों की लोन की 1 तारीख से 5 तक करती है अब ब्याज लगेगा इसलिए कर्मचारियों को तत्काल महा जून का वेतन भुगतान किया जाए मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट नियम है की हर माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। दूसरे पत्र में छात्रावास आश्रम की जमीनों का सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाया जाए यह अतिक्रमण विभाग के अधिकारी को कर्मचारियों की मिली भगत के कारण हुए हैं कुछ कर्मचारियों ने तो छात्रावासों की जमीनों को भी बेचा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा विभाग में लंबित समस्याओं शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर निराकरण किया जाए दोनों पत्रों को जनसुनवाई में दर्ज किया गया तथा दोनों पत्रों की छाया प्रति विभाग की मंडल संयोजक मोनिका भगत को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आवाज करिए, नहीं तो लोग मुर्दा समझ लेंगे........

सामान्य मीटर@279 यूनिट, स्मार्ट मीटर@429 यूनिट

>> खुली पोल: उपभोक्ता ने एक ही लाइन पर 10 दिन तक टेस्ट किए दोनों मीटर

आम जनता ला लूटे खातिर,
सरकार के गरकट्टाई देखो।
बिजली हा सबके मजबूरी हे,
मजबूर से लूट मचाई देखो।।
स्मार्ट मीटर के कमाल देख लो,
बिल भेजत हे बढ़ा-चढ़ा के,
विरोध करो तुम अभी हे मौका,
देखाओ सब ला अखबार पढ़ा के।

लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)

आल इंडिया स्ट्राइक के समर्थन में मजदूर एवं किसानों दिखाया दम खम, सौपा ज्ञापन

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ

अनूपपुर। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ऑल इंडिया स्ट्राइक के समर्थन में सीटू से संबद्ध यूनियन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन, आशा उषा सहयोगिनी यूनियन, मध्यान भोजन कर्मी युनियन,कोयला श्रमिक संघ जमुना कोतमा एवं हसदेव एरिया,अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, मध्य प्रदेश किसान सभा , आदिवासी महासभा तथा संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय अनूपपुर में हजारों के तादाद में रैन बसेरा के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं आम सभा कर तहसीलदार ईश्वर प्रधान को ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में स्थानीय एवं राष्ट्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर जिला अनूपपुर एवं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन दिया। आम सभा को मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय महासचिव कामरेड अखिलेश यादव एवं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड नीना शर्मा ने संबोधित किया। कामरेड अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार एवं नरेंद्र मोदी सरकार का जमकर आलोचना करते हुए सरकार को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी एवं आमजन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार कॉर्पोरेट घरानों के हित साधना करने पर तुली हुई है, और देश को कर्ज में डूबा दिया है । उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है सरकार गहरी निद्रा से जाग कर देश के विकास की बुनियाद रखने वाले मजदूर एवं किसानों के हित की काम करें । उन्होंने मांग किया कि मजदूरों को न्यूनतम 26000 रुपया मासिक वेतन, किसानों को कृषि उत्पादन का स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक ष्2+50त्न कीमत देने कानून बनाए। किसानों का कर्ज माफी,किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार को न्यायोचित मुआवजा एवं शहीदों को शहीद का दर्जा, चारों श्रम संहिताओं को रद्द किए जाने , किसी भी रूप में काम का आकस्मिकी करण जैसे की आउटसोर्स ,निश्चित अवधि का रोजगार , अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं और वहानों के तहत ना किया जाए, ठेका कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन तुरंत लागू किया जाए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित सभी श्रेणियां कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन रुपए 9000 प्रतिमाह ,सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, एनपीएस और यूपीएस खत्म किया जाए आदि मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया । वहीं महिला नेत्री कामरेड नीना शर्मा ने समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाएं जाने पर जोर दिया।

सागर जिले में महिला कोटवार पर जानलेवा हमला और जातिगत अपमान अनुसूचित जाति विभाग ने की सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

कैलाश कुमार - युवा प्रदेश (सह संपादक)

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के ग्राम रजौली का है, जहाँ पदस्थ महिला कोटवार श्रीमती कौशल्या बाई चड़ार, पति श्री उदयभान चड़ार, पर गांव के ही दबंग पवन लोधी और अनिकेश लोधी द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनके मकान को बुलडोजर और ट्रैक्टर से ढहा दिया गया, और उन्हें व उनके परिवार को जातिसूचक शब्दों और गालियों के साथ गाँव से बेदखल करने की धमकी दी गई। घटना के वक्त कौशल्या बाई चड़ार तहसील कार्यालय में मौजूद थीं, जब उनके बेटे ने फोन पर बताया कि उन्हें, उनकी पत्नी, बहनों और बच्चों को घर में बंद कर मकान को गिराया जा रहा है। इस सूचना पर तहसीलदार कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए परिवार को किसी तरह बचाया। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि घटना के

कई दिन बाद तक राहतगढ़ थाने ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि पीड़िता द्वारा सागर एसपी कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज भी आरोपी खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं, और पीड़िता कौशल्या बाई चड़ार पिछले 20 दिनों से गाँव छोड़कर राहतगढ़ कस्बे में किराए पर रहने को मजबूर हैं। एक महिला, वह भी सरकारी पद पर कार्यरत कोटवार, के साथ ऐसा व्यवहार पूरे प्रशासनिक सिस्टम की संवेदनहीनता और जातीय भेदभाव की गहरी सच्चाई को उजागर करता है।

हम, अनुसूचित जाति विभाग, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी, इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराज़गी और चिंता प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा है-

यह घटना केवल एक महिला कर्मचारी पर हमला नहीं, बल्कि पूरे अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मान और सुरक्षा पर हमला है। यदि आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि मौजूदा सरकार दलितों की सुरक्षा और न्याय को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील है।

हम मांग करते हैं कि

आरोपियों अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

पीड़िता और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर भी कार्रवाई की जाए।

यदि सरकार ने शीघ्र कार्यवाही नहीं की, तो अनुसूचित जाति विभाग पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा।

प्रदीप अहिरवार
प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी।

आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में लगाया जा रहा है घटिया ईंट, सरपंच, सचिव व इंजीनियर की मिलीभगत

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर /बेलियाबड़ी। भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियां बटोरने वाले जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को ताक में रखकर काम कराया जा रहा है। महिला एवं बाल विकाश आंगनवाड़ी भवन निर्माण योजना अंतर्गत शासन के सुरक्षात्मक मानकों के अनुसार लगभग 11 लाख की लागत की राशि से आंगनवाड़ी भवन तथा बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जा रहा है।वैसे तो निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच को आज तक यहां नहीं देखा गया है।काम कौन करा रहा है, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता नदारद है। स्टीमेट के विपरीत छड़ से कालम व बीम तैयार किए गए हैं। कालमों में रिंग जो किसी निर्माण की रीढ़ होती है उसे भी मनमाना लगाया जा रहा है। वैसे विकासखंड का यह एकमात्र आंगनबाड़ी भवन नहीं है, जिसका निर्माण गुणवत्ताविहीन किया जा रहा है।कई ग्रामों में हो रहे निर्माण इसी तर्ज पर हो रहे है।

दीवार में लग रही घटिया ईंट

आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट लगाकर खानापूर्ति की जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार गुणवत्ताविहीन हो रहे कार्य का विरोध होने के बाद भी निर्माण एजेंसी मनमानी कर रही है।विभागीय अधिकारियों तक शिकायतें भी पहुंचती हैं, लेकिन जांच में खानापूर्ति व लेन-देन कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है।भवन के दीवार निर्माण कार्य में भी घुली ईंटों का उपयोग कर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि अधिकारियों की अनदेखी से निर्माण एजेंसी मनमानी कर रही हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।

इंजीनियर की अनदेखी हो रहा घटिया निर्माण

ज्ञात हो कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में इंजीनियर नियुक्त किये हैं, ताकि कोई निर्माण हो तो उसकी गुणवत्ता देख सकें,लेकिन यहां तो बिना जांच के खुलेआम घटिया निर्माण हो रहा है और वे इधर झांकना भी मुनासिब नहीं समझते, इससे सरपंच और सचिव के हौसले बुलंद हैं।सूत्रों का कहना है कि यह सब इन्ही जिम्मेदारों के आपसी सांठगांठ और कमीशन के चलते हो रहा है,यदि सही जांच हो तो पंचायत में कई और मामले भी उजागर होंगे। ग्राम पंचायत में नाडेफ,सोख्ता टैंक भी बने हैं,उसमे भी लापरवाही बरती गई है। भ्रष्टाचार के चलते सही मापदण्ड का पालन नहीं किया गया है।जिसको लेकर स्थानीय लोगो ने जल्द ही जिला कलेक्टर से शिकायत की बात कही गई है।

इनका कहना है।

इस मामले में जनपद पंचायत के इंजीनियर दुर्गेश अग्रवाल को उनके मोबाइल नम्बर पर कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

अमरकंटक रामघाट में डूबने से भजन गायक की मौत

अमरकंटक में गुरुपूर्णिमा पर हुआ हादसा

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अमरकंटक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरकंटक में स्थित पवित्र नर्मदा नदी के रामघाट में गुरुवार को एक अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना घटी। स्नान के दौरान भजन गायक श्री राज भदौरिया , उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बालनपुर, थाना बालनपुर, जिला भिंड की नदी में डूबने से दुखदमौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राज भदौरिया अपने बड़े भाई अर्जुन भदौरिया और जीजा के साथ गुरुपूर्णिमा के मौके पर स्नान हेतु रामघाट पहुंचे थे। स्नान करते हुए राज और अर्जुन तैरते-तैरते नदी के बीच में बने फव्वारे तक पहुंच गए। इसी दौरान राज का पैर फव्वारे में लगी रेलिंग में फंस गया, जिससे वह अचानक पानी में डूबने लगा। साथ आए स्वजन और अन्य स्नानार्थियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, परंतु वह काफी देर तक पानी से बाहर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राज को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 22/25 बीएनएस की धारा 194 के तहत मामला कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार राज भदौरिया अमरकंटक स्थित एक आश्रम के शिष्य थे। वह भजन और संगीत का एक उभरता हुआ गायक थे तथा आश्रम में रहकर अध्ययन भी कर रहा थे। उनका व्यवहार विनम्र और अध्यात्म के प्रति समर्पित बताया गया है। इस अप्रत्याशित हादसे से अमरकंटक क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर जब हजारों श्रद्धालु आस्था के भाव से घाट पर उपस्थित थे यह घटना सभी को स्तब्ध कर गई।

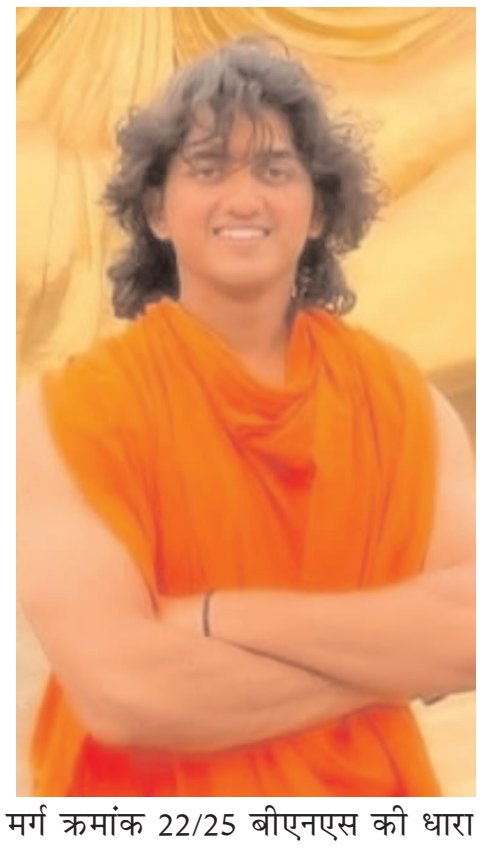

छात्रवृत्ति बन गई संघर्षवृत्ति – लेटलतीफी, लापरवाही और विद्यार्थीयों का इंतजार

शिक्षा समानता का सबसे सशक्त साधन है और छात्रवृत्ति उस साधन को सुलभ बनाने वाली जीवनरेखा है किंतु दुखद और चिंतनीय यह है कि..मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाखों विद्यार्थी आज भी इसी जीवनरेखा के टूटे तारों को जोड़ने में लगे हैं अर्थात छात्रवृत्ति जो मिलनी चाहिए सम्मान से, वह मिलती है रुकावटों, लेटलतीफी और लापरवाही के साथ।

जब सरकारें 'डिजिटल इंडिया', 'शिक्षित भारत' और 'समावेशी समाज' की बात करती हैं, तब ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां क्यों करती है..धरातल पर विकास इतना अछूता क्यों..फिर क्यों एक दलित या आदिवासी छात्र को फॉर्म भरने से लेकर राशि प्राप्त करने तक इतना संघर्ष करना पड़ता है, जितना शायद किसी परीक्षा में भी नहीं करना पड़ता हो।

लेखिका- कु.प्रियंका (पीएचडी शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता विचारक व चिंतक)

छात्रवृत्ति अब 'छात्र-वृत्ति' नहीं रह गई — यह धीरे-धीरे एक संघर्ष-वृत्ति बन चुकी है। सरकारी छात्रवृत्तियाँ, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पढ़ाई में सहारा देना था, आज छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की जटिल प्रक्रिया सिरदर्द तनाव अधिक बन चुकी हैं, समय पर ना मिलने के चलते..कोई बच्चा फीस न भर पाने के कारण कॉलेज से निकाल दिया जाता है, कोई हॉस्टल छोड़ मज़दूरी करने को मजबूर होता है, और कोई छात्रा सिर्फ़ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि पिता कर्ज़ में डूबे हैं और छात्रवृत्ति कब आएगी, कोई नहीं जानता।

चलिए एक नज़र वर्तमान हालातों पर डालते हैं- आज भी मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थी अपनी पिछली छात्रवृत्तियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई ज़िलों में हालात ऐसे हैं कि तकनीकी कमियों और पोर्टल की जटिलता के चलते अनेक ग्रामीण विद्यार्थी छात्रवृत्ति के आवेदन से ही वंचित हो गए। जानकारी के अभाव और उचित प्रचार-प्रसार न होने के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राएँ समय पर फॉर्म ही नहीं भर सके। वास्तविक चिंतन का विषय यह है कि जिस तरह कुछ योजनाओं — उदाहरण स्वरूप जैसे 'लाडली बहना योजना' — का प्रचार-प्रसार हर माह बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें अनपढ़ से लेकर शिक्षित तक को योजना की जानकारी है..अच्छी बात है किंतु इसी प्रकार उसी स्तर पर दलित,आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति या स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी क्यों नहीं पहुँचाई जाती? सरकारी योजनाओं की जानकारी अगर धरातल तक नहीं पहुंचेगी तो उसका लाभ युवाओ विद्यार्थीगणों को कैसे मिलेगा..योजनाओ का वास्तविक उद्देश्य ही अधूरा ही रहेगा।

जब अनु.जाति-जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन करना होता है, तब वे केवल पोर्टल की तकनीकी जटिलताओं से ही नहीं जूझते, बल्कि अपने ही कॉलेजों के चक्कर भी लगातार लगाते हैं। आखिर क्यों?

जब 'लाडली बहना योजना' की राशि इतनी सहजता से हर माह खातों में ट्रांसफर हो सकती है, जब हर अधिकारी-कर्मचारी को वेतन समय पर मिल सकता है — तो फिर छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती? विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति बिना तनाव के समय पर प्राप्त हो — ऐसी प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सी.ए.जी. की रिपोर्ट- बीते वर्षों के आँकड़े पर भी नज़र डालते हैं-भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी) की 2023 की रिपोर्ट, जो वर्ष 2017 से 2022 तक छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा है, ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए-

4% से 20% तक SC-ST विद्यार्थियों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई।

? पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में कई छात्रों को 5 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा।

? तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कुछ को दो बार भुगतान मिला, वहीं हजारों छात्र पूरी तरह वंचित रह गए।

? राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ?96.65 लाख की राशि का क्लेम ही नहीं किया, जिससे बजट का उपयोग नहीं हो सका।

? MPTAAS पोर्टल की तकनीकी खामियाँ आज भी विद्यार्थियों को मानसिक तनाव में डाल रही हैं।

चिंतनीय है..क्या एक दलित या आदिवासी छात्र का समय, सपना और संघर्ष — किसी सिस्टम की ग़लती के आगे यूँ ही सस्ता समझा जाएगा?

छात्रवृत्ति कोई सुविधा नहीं, यह एक संवैधानिक अधिकार है। और जब यह हक़ समय पर नहीं मिलता, तो नुकसान सिर्फ़ आर्थिक नहीं होता — यह मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पूरे जीवन को प्रभावित करता है।

युवा छात्र संघ की पाँच ठोस माँगें

1. छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और समयबद्ध हो।

2. जिस तरह हर सरकारी/संविदा कर्मचारी का वेतन निश्चित तारीख़ पर आता है, उसी तरह विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी तय समय पर खातों में ससम्मान आवे।

3. छात्रवृत्ति पोर्टल (MPTAAS) में तकनीकी सुधार किए जाएँ। आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को सरल, मोबाइल-फ्रेंडली और ऑफलाइन विकल्पों सहित बनाया जाए।

4. हर ज़िले में छात्रवृत्ति निगरानी समिति का गठन किया जावे...ताकि पारदर्शी प्रणाली में मजबूती आये। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थी प्रतिनिधि, समाजसेवी और प्रशासनिकअधिकारी शामिल हों जो हर वर्ष एक निष्पक्ष पारदर्शी रिपोर्ट तैयार करें।

5. देरी की स्थिति में संबंधित गैर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो।

6. छात्रवृत्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, ईमेल और स्रूू आधारित समाधान तंत्र बनाया जाए और प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि विद्यार्थीगण इससे अवगत हो सकें।

कई बार छात्र सोचते हैं —क्या ये सिर्फ मेरी परेशानी है?

पर सच ये है —हर गाँव, हर शहर में पढ़ने वाला विद्यार्थी छात्रवृत्ति की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठा है। ये समस्या एक की नहीं — हम सभी की है।

ऐसा प्रतीत होता है जैसे छात्रवृत्ति अब संघर्षवृत्ति बन गयी है।

जब शिक्षक और स्टाफ समय पर वेतन पा सकता है

तो एक विद्यार्थी को उसका छात्रवृत्ति का हक़ समय पर क्यों नहीं मिल सकता? भेदभाव को झेलते हुए ग्रामीण अंचल की गरीबी से जूझ कर संर्घष कर आये विद्यार्थीयों के लिए छात्र जीवन में आर्थिक आधार छात्रवृत्ति ही एकमात्र सहारा है।

छात्रवृत्ति वह ईंधन है जिससे हज़ारों युवाओं के सपने उड़ान भरते हैं। यदि यही ईंधन लापरवाही, भ्रष्टाचार और विलंब के धुएँ में घुटने लगे —तो फिर शिक्षा सिर्फ़ एक स्लोगन बनकर रह जाएगी।

कभी खेतों से, कभी मज़दूरी से उठकर

जो बच्चे आज स्कूल और कॉलेज की दहलीज़ तक पहुँचे हैं उनसे शिक्षा का हक़ न छीना जाए।

छात्रवृत्ति की हर देरी, उनके भविष्य की रफ्तार को धीमा कर देती है।

हम वर्तमान सरकार से विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं —कि इन विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा का यह प्रकाश सतत जलता रहे। छात्रवृत्ति हर वर्ष, बिना किसी लेटलतीफी और लापरवाही के, सम्मानपूर्वक और समय पर विद्यार्थियों के खातों तक पहुंचे —

यही इस व्यवस्था और सरकारी तंत्र की सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी है।

जंगल में सर्चिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री के साथ दो माओवादी गिरफ्तार

बासागुड़ा व केरिपु की संयुक्त कार्यवाही को मिली बड़ी सफलता

बीजापुर। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। थाना बासागुड़ा एवं केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) 153वीं एवं 168वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने बुधवार को तिमापुर जीडीपारा के जंगलों में सर्चिंग अभियान के दौरान दो सक्रिय माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में: उण्डम लक्ष्मण (उम्र 22 वर्ष), निवासी बड़े तर्रेम, थाना तर्रेम, जो कि पेद्दागेलुर आरपीसी में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय था, तथा मड़कम हिड़मा (उम्र 24 वर्ष), निवासी पेद्दागेलुर, थाना बासागुड़ा, जो कि नेण्ड्रा आरपीसी का सीएनएम सदस्य है, शामिल हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से अवैध विस्फोटक सामग्री तथा जमीन खोदने के औजार बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों की माओवादी गतिविधियों में संलिप्तता स्पष्ट हुई है। गिरफ्तार माओवादियों के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत थाना बासागुड़ा में मामला दर्ज कर लिया गया है। वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात दोनों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने इसे सुरक्षा बलों की सतत निगरानी और साहसिक कार्यवाही का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक :**- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)